"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 सितम्बर 2012—भाद्र 12, शक 1934

कृषि (मछलीपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-1/2012/36.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना, दिनांक 17 जनवरी 2012 से दो वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-एक के पश्चात् निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :—

टीप— (1) अनुसूची-एक के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 6 में उल्लेखित सहायक ग्रेड-3 के पद, जिला स्तरीय घोषित किए जाते हैं.

(2) सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए संचालक मत्स्योद्योग छत्तीसगढ़ नियुक्ति प्राधिकारी होंगे.

Raipur, the 3rd September 2012

NOTIFICATION

No. F-4-1/2012/36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Fisheries Development Department Class-IV Services Recruitment Rules, 2009. This notification shall come into force from the date of 17th January, 2012, for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In Schedule-I of the said rules,—

After Schedule-I the following Note shall be added, namely :—

"**Note** — (1) The post of Assistant Grade-III mentioned at serial number 6 of column (2) of Schedule-I is declared as District level.

(2) Director of fisheries Chhattisgarh shall be Appointing Authority for the post of Assistant Grade-III."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.